भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-210
उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी

†*210. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात सहित तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यालयों/महाविद्यालयों में महिला शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

******

माननीय संसद सदस्य श्री हरेन्द्र सिंह मलिक द्वारा 'विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी' के संबंध में दिनांक 04.08.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 210 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की संख्या में वृद्धि/नए स्कूलों या कॉलेजों की स्थापना के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं जैसे कारकों के चलते रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित स्कूलों सहित देश भर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी का ब्यौरा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा रखा जाता है। हालाँकि, यूडाइज+2023-24 के अनुसार, सभी स्कूल प्रबंधनों में कार्यरत शिक्षकों का राज्य-वार विवरण और वर्ष 2020 से 2023 तक शामिल हुए शिक्षकों का राज्य-वार विवरण https://www.education.gov.in/parl_ques पर अनुलग्नक-I में दिया गया है।

इसके अलावा, यूडाइज+ 2023-24 के अनुसार, देश भर में सभी प्रकार के स्कूल प्रबंधन में छात्र-शिक्षक अनुपात इस प्रकार है: -

	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
भारत	21	18	16	24

उत्तर प्रदेश राज्य में सभी प्रकार के स्कूल प्रबंधन के लिए समग्र छात्र-शिक्षक अनुपात है: -

	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
उत्तर प्रदेश	22	22	23	35

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जून, 2025 तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) में शिक्षकों के दो पद तथा नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) में शिक्षक का एक पद रिक्त है। छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए, भर्ती नियमों में निर्धारित योग्यता के अनुसार, केवीएस और एनवीएस के विद्यालयों में अल्पावधि आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है।

पिछले चार वर्षों के दौरान केवीएस और एनवीएस के केंद्रीय विद्यालयों में पीटीआर का विवरण, जैसा कि उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है, निम्नानुसार है:

संस्था	छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर)			
	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
केविसं	29	28	27	27
नविस	18	17	17	17

जहां तक कॉलेजों का संबंध है, उनमें से अधिकांश राज्य सरकारों/न्यासों/पंजीकृत सोसाइटियों/निजी संस्थाओं आदि द्वारा स्थापित किए जाते हैं और इन कॉलेजों में शिक्षकों की रिक्तियों के संबंध में डेटा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा रखा जाता है।

यूडाइज + रिपोर्ट के अनुसार, सभी प्रबंधनों के स्कूलों में समग्र छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) और एआईएसएचई रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अध्ययन के नियमित मोड के लिए पीटीआर के बारे में पिछले तीन वर्षों का राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III में https://www.education.gov.in/parl_ques पर दिया गया है।

(ग) से (ङ): यूडाइज+2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, देश के सभी स्कूलों में महिला शिक्षकों का प्रतिनिधित्व 53.33% था। एआईएसएचई रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 में देश भर के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला शिक्षकों का प्रतिनिधित्व 43.40% था।

जून, 2025 की स्थिति के अनुसार, केवीएस और एनवीएस केंद्रीय विद्यालयों में महिला शिक्षकों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 49.32% और 34.81% है। जेएनवी में महिला शिक्षकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। वार्षिक स्थानांतरण अभियान के दौरान एकल महिला और पति/पत्नी श्रेणी के कर्मचारियों को प्राथमिकता भी दी जाती है।

स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित बिना लैंगिक भेदभाव के प्रतियोगी चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक रिक्तियों को भरने की प्रगति की जिसमें निरंतरता और शुचिता का पूरा ध्यान रखा जाता है तथा प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता आयोजना और पूर्वानुमान कार्य के बाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित बैठकों के साथ-साथ परामर्श के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

अब तक की स्थिति के अनुसार, केवीएस ने 11,733 शिक्षकों की भर्ती की है, जबकि एनवीएस ने मिशन मोड में 2,007 शिक्षकों की भर्ती की है।

शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान (सीएचईआई) संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों/संविधि/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। स्वायत्त संस्थानों के रूप में, संकाय की भर्ती संस्थान के भीतर ही, उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। भर्ती संबंधी अधिकार संबंधित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी)/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास निहित हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए प्रेरित किया था।

दिनांक 12.07.2025 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा मिशन मोड में कुल 16,507 संकाय पदों को भरा जा चुका है।

*****